



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक -12.07.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 05 अभियोगों में 05 अभियुक्तगण को मानव न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम - थाना कदौरा में मु0अ0सं0 186/2018 (वाद संख्या - 42/2018) धारा 394/302/34/120B/411 भादवि बनाम 1.अनुराग उर्फ अंशु 2. कृष्णा पुत्रगण ज्ञानप्रकाश 3. अनुपम तिवारी उर्फ बाबा पुत्र राजेश तिवारी 4. शशांक उर्फ लालू पुत्र सन्तोष दुबे 5. ज्ञानप्रकाश तिवारी पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम बागी थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती, उरई द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1,20,000-1,20,000/- रुपये (प्रत्येक को एक लाख बीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय - थाना कदौरा में मु0अ0सं0 189/2018 (वाद संख्या - 43/2018) धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अनुराग उर्फ अंशु पुत्र ज्ञान प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम बागी थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती, उरई द्वारा अभियुक्त अनुराग उपरोक्त को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय - थाना कदौरा में मु0अ0सं0 190/2018 (वाद संख्या - 44/2018) धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम कृष्णा पुत्र ज्ञान प्रकाश तिवारी निवासी ग्राम बागी थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती, उरई द्वारा अभियुक्त कृष्णा उपरोक्त को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण चतुर्थ - थाना कदौरा में मु0अ0सं0 191/2018 (वाद संख्या - 45/2018) धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अनुपम तिवारी उर्फ बाबा पुत्र राजेश तिवारी निवासी ग्राम बागी थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती, उरई द्वारा अभियुक्त अनुपम उपरोक्त को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण पंचम - थाना कदौरा में मु0अ0सं0 193/2018 (वाद संख्या - 46/2018) धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम शशांक उर्फ लालू पुत्र सन्तोष दुबे निवासी ग्राम बागी थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती, उरई द्वारा अभियुक्त शशांक उपरोक्त को दोषी पाते हुये 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।